सारण समाहरणालय

(कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid-day Meal Scheme

बिहार सरकार

पत्रांक 753 / म0भो0यो0   सारण, दिनांक 22/8/26

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सारण।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सारण।
सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, सारण।
सभी प्रखण्ड साधन सेवी, पी0एम0पोषण योजना, सारण।
सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक,
प्रारम्भिक विद्यालय, सारण।
अध्यक्ष/जिला संचालक,
स्वयं सेवी संस्था ''बाल विकास सेवा संस्थान''
नई दिल्ली, शाखा– सारण।

विषयः– **बरसात के मौसम में विद्यालय, रसोईघर–सह–भंडारगृह एवं केन्द्रीयकृत रसोईघर में विशेष साफ–सफाई रखने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध अंकित करना है कि बरसात के मौसम में योजना के सफल संचालन हेतु विद्यालय एवं रसोई–सह–भंडारगृह में विशेष साफ–सफाई की आवश्यकता है ताकि कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके व बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इस हेतु निम्न बातों का ध्यान देना अति आवश्यक हैः–

- मध्याह्न भोजन बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली खाद्य सामग्री यथा– चावल, दाल, तेल, मसाला, सोयाबीन, लाल चना इत्यादि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही इसका उपयोग किया जायेगा।
- डिब्बा बंद खाद्य सामग्री का इस्तेमाल उसके उपयोग की अंतिम तिथि को देखकर ही किया जाना है।
- खाद्य सामग्री का उचित भंडारण कराया जाय ताकि बरसात के दिनों में नमी से इसका बचाव किया जा सके।
- विद्यालय प्रांगण, रसोई–सह–भंडारगृह/मध्याह्न भोजन रखने वाले स्थान एवं केन्द्रीयकृत किचेन के बगल में उपलब्ध जल–स्त्रोत यथा– चापाकल, नल एवं शौचालय की साफ–सफाई अनिवार्य रूप से करवायी जाय।
- विद्यालय, रसोई–सह–भंडारगृह/मध्याह्न भोजन रखने वाले स्थान एवं केन्द्रीयकृत किचेन से जमा होने वाले कचरा के निपटान हेतु कचरा प्रबंधन की समुचित प्रक्रिया अपनायी जाय।
- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन परोसने के पूर्व रसोईयों के द्वारा बच्चों को हाथ धोने (साबुन, हैंडवाश के द्वारा) की समुचित प्रक्रिया करायी जाय।
- स्वयं सेवी संस्था से भोजन प्राप्त करने एवं मध्याह्न भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाले बर्त्तन, थाली, ग्लास की समुचित साफ–सफाई के बाद ही उपयोग में लायी जाय।
- बरसात के मौसम में मध्याह्न भोजन बनाने में बैगन, भिंडी, सभी प्रकार के साग एवं पत्ता गोभी का उपयोग नहीं किया जाय, क्योंकि इन सब्जियों में बरसात के मौसम में कीटाणुओं के पनपने की संभावना ज्यादा होती है। इन सब्जियों के स्थान पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ताजा हरी सब्जियों का प्रयोग किया जाय।

- स्वयं सेवी संस्था द्वारा आपूर्त्ति किये गये मध्याह्न भोजन एवं विद्यालय में तैयार किये गये मध्याह्न भोजन को रसोईया/प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के द्वारा चखकर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त चखना पंजी में संधारण कर ही बच्चों के बीच भोजन परोसा जाय।
- बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन परोसने से पूर्व उपयोग में लाये जाने वाली थाली के सफाई की समुचित प्रक्रिया करायी जाय।
- शिक्षा विभाग के पदाधिकारी/मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/प्रखण्ड साधन सेवियों द्वारा विद्यालयों के भ्रमण के दौरान विद्यालय एवं रसोई–सह–भंडारगृह की साफ–सफाई का विशेष अनुश्रवण किया जायेगा।
- केन्द्रीयकृत रसोईघर से विद्यालय में आपूर्त्ति किये जाने वाले मध्याह्न भोजन को विद्यालय के साफ–सुरक्षित बर्त्तन में भंडारित किया जाना है एवं किचेन शेड की स्थिति बिल्कुल साफ–सुथरी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया का विडियो स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि के द्वारा संधारित रखा जायेगा।
- केन्द्रीयकृत रसोईघर में तैयार मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए भोजन बनने के बाद दो घंटे के अन्दर विद्यालयों तक आपूर्त्ति सुनिश्चित कराया जाना है। केन्द्रीयकृत रसोईघर से विद्यालयों की दूरी 30 से 35 मिनट के अन्दर होनी चाहिए, ताकि समय पर बच्चों को भोजन का लाभ दिया जा सके।

अतएव निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

21/08/24

जिला पदाधिकारी
सारण।